

18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-नीमच

R 167-PB 2/17

- 1- श्यामलाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल ग्वाला
 - 2- मूलिया बाई पति स्व. श्री बाबूलाल ग्वाला
 - 3- चन्दा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल ग्वाला
- निवासीगण - नीमच (म.प्र.)

श्री स्वामिन चतुर्वेदी अधि.

10/1/17 को

प्रस्तुत

10/1/17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर
पालिका परिषद नीमच जिला - नीमच
(म.प्र.)

..... अनावेदक


न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
123/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Handwritten signature


6.6.2017


अध्यक्ष

आवेदनकर्ता की ओर से श्री 32
 के 0 के 0 द्वितीय आयोगक उपाध्यक्ष।
 अध्यक्षता पर चुना गया। पर प्रिगलनी
 आयुक्त द्वारा लोक परिषद आयोग
 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक
 26.12.2016 के विरुद्ध प्रत्युत की


 Bhanu
 G.A.L.

गई है। लोक परिषद आयोग
 के अन्तर्गत चुनवाई का क्षेत्राधिकार
 उस प्राधिकार को नहीं है। अतः
 उस प्रिगलनी के चुनने का क्षेत्राधिकार
 इस प्राधिकार को नहीं होने से
 अध्यक्ष की जाती है।


 अध्यक्ष


 अध्यक्ष